प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 15.03.2026**

- **थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए ठगी एवं टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **विगत वर्ष 2025 में थाना शिवली क्षेत्रान्तर्गत, कस्बा शिवली के दुकानदार को थाना अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत, कस्बा अकबरपुर बुलाकर नकली सोना देकर 10 लाख रूपये की ठगी एवं धोखाधडी कर हुए थे फरार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 12.03.2026 को वादी फैयाज अली पुत्र निसार अली वार्ड नं 2 शिवाजी नगर कस्बा शिवली, थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना अकबरपुर पर लिखित तहरीर दी गयी थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि विगत वर्ष 2025 माह सितम्बर में उनकी थाना शिवली क्षेत्रान्तर्गत कस्बा शिवली स्थित कपडे की दुकान पर 01 अज्ञात महिला व 02 पुरुष आये और उन्होंने मेरी दुकान पर कपडे देखने के बाद 02 साड़ियाँ खरीदी। कपडे खरीदने के बाद अज्ञात महिला एवं दोनों पुरूषों द्वारा फैयाज अली उपरोक्त को विश्वास में लेकर खुदाई में मिले सोने-चाँदी के जेवरात सस्ते दामों में देने की बात कही, एवं अपने पास से एक असली सोने का मनका निकाल कर चेक कराने हेतु दिया। मनके को चेक कराने पर असली सोने का निकला। वादी मुकदमा लालच में आकर उक्त लोगों के झाँसे में आ गया एवं अज्ञात महिला व 02 पुरूष द्वारा उन्हे शेष माल बेचने हेतु थाना अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत कस्बा अकबरपुर पुल के पास बुलाया गया, जहाँ अज्ञात महिला एवं दोनों पुरूषों वादी मुकदमा फैयाज अली को फर्जी पीतल की माला को सोने की माला बताकर दे गए और 10 लाख रूपये लिये एवं मौके से फरार हो गये । वादी मुकदमा ने जब उक्त माला को चेक कराया तो वह माला पीतल धातु का पाया गया। जिसके संबंध में थाना अकबरपुर पर मु0अ0सं0 0095/2026 धारा 318(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान दिनांक 14.03.2026 को थाना अकबपुर क्षेत्रान्तर्गत बनार अलीपुर बम्बा पुलिया पर पूर्व पटरी शहजादपुर की तरफ संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान 05 व्यक्ति जो पेडों के नीचे खडे दिखे जिनसे पूछताछ की गयी तो हडबडी में इधर -उधर भागने लगे। थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्तियों को पकड लिया गया। उक्त घटना करने के पश्चात शेष बचे रूपयों में से 21,000/- नकद, पीतल धातु की माला वजन करीब 1.724 किलोग्राम व 06 अदद मोबाइल को बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को चिकित्सा परीक्षण कराते हुये नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. पपिया उर्फ प्रभू पुत्र शंकर, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम बन्थरा सिकन्दरामऊ, थाना बन्थरा, जनपद लखनऊ
2. मोहन पुत्र कन्हैया लाल, उम्र 36 वर्ष निवासी 591-H नवलपुरा 3 खुर्जा सिटी थाना खुर्जा जनपद बुलन्दशहर
3. लाल सिंह पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 41 वर्ष निवासी 591-H नवलपुरा 3 खुर्जा सिटी थाना खुर्जा जनपद बुलन्दशहर
4. किशन उर्फ पिकला पुत्र मान सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम छतईखेडा, थाना अजगैन, जनपद उन्नाव
5. शांति देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण पुत्री मान सिंह, उम्र 50 वर्ष, निवासिनी ग्राम छतईखेडा, थाना अजगैन, जनपद उन्नाव (शान्ति देवी उपरोक्त वर्ष 2014 में अपने पति स्व0 लक्ष्मण सिंह की हत्या करने के अपराध में दिल्ली से तिहाड़ जेल जा चुकी हैं।)

अभियुक्तगणों से पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों ने बताया कि हम लोग समूह में रहते हैं व कस्बों में घूमते हैं व स्थानीय दुकानदारों को विश्वास में लेकर झांसा देते हुये बताते हैं कि हम लोग मजदूरी का काम करते हैं जहां खुदाई में सोने की माला व चांदी के सिक्के मिले हैं जिनको हम लोगों ने छिपाकर रख लिया है और सही खरीददार की तलाश करके सस्ते दामों में बेच देते हैं। ये माला पीतल धातु की रहती है जिसे सोने की माला बताकर जांच कराने के नाम पर मनके निकालकर झांसे में लिये व्यक्तियों को दे देते हैं जो मनका देते है सिर्फ वही असली सोने का होता है जिससे व्यापारी को विश्वास में लेने के बाद उनसे रुपये लेकर ठगी की घटना करते हैं। इस प्रकार मिलने वाले रुपयों को हम लोग आपस में बटवारा करके आपस में बांट लेते हैं। पिछले साल सितम्बर 2025 में कानपुर देहात के थाना शिवली क्षेत्रान्तर्गत शिवली कस्बे में कपडा बेचने वाले दुकानदार से हम लोगों ने ठगी की घटना करके अकबरपुर पुल के पास 10 लाख रुपये ले लिये थे। उक्त रुपयों को आपस में बांट लिये थे । अभी कुछ दिन पहले कानपुर देहात में रनियां रायपुर क्षेत्र में मेडिकल स्टोर के दुकानदार को भी झांसा देकर विश्वास में लेकर पीतल धातु की माला जो आज हमारे पास से मिली हैं देने वाले थे और रुपये लेकर ठगी करने की योजना को अंजाम देने वाले थे परन्तु आप लोगो ने पकड़ लिया।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण:-

1. 1.724 कि0ग्रा0 पीतल धातु की माला
2. 21,000/- रुपये नकद
3. 04 अदद एण्ड्राएड मोबाइल व 02 अदद कीपैड मोबाइल

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना अकबरपुर पुलिस टीम